रागों की उजास में नहाई मनीषी तानसेन की धरती

तानसेन समारोह : बांसुरी की मनुहार, गायन की गहराई और तालों की दिव्य थाप से सम्मोहित हुए रसिक

ग्वालियर, 18 दिसंबर. ब्रह्मनाद की साधना और सुरों की अखंड परंपरा का प्रतीक विश्वविख्यात 'तानसेन समारोह' अपने 101वें संस्करण में शिखर की ओर अग्रसर है.

समारोह के चौथे दिवस गुरुवार की संगीत सभा आध्यात्मिक चेतना, रसात्मक सौंदर्य और शास्त्रीय गरिमा से ओत-प्रोत रही. शीतल प्रभात की नीरवता में जब रागों की मधुर सरगम, बांसुरी की करुण पुकार, तालों की लयात्मक थाप और स्वरों की उजास घुली, तो संपूर्ण वातावरण एक दिव्य अनुभूति में आप्लावित हो उठा. ऐसा प्रतीत हुआ मानो तानसेन की गौरवशाली संगीत परंपरा समय की

सीमाओं को लांघकर पुन: सजीव हो उठी हो.प्रात:कालीन सभा का आरंभ साधना संगीत कला केंद्र, ग्वालियर के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत ध्रुपद गायन से हुआ. कोमल ऋषभ राग आसावरी के स्वरों में पगी चौताल निबद्ध रचना रतन सिंहासन ता पर आसन को विद्यार्थियों ने अत्यंत मनोयोग और अनुशासन के साथ प्रस्तुत किया.

> पखावज पर अविनाश महाजनी और तबले पर बसंत हरमलकर की सधी संगत ने प्रस्तुति को गरिमा प्रदान की. संयोजन स्मिता महाजन का रहा. सभा की अगली प्रस्तुति नोएडा से पधारे पंडित चेतन जोशी के सुमधुर बांसुरी वादन की रही. उन्होंने प्रात:कालीन राग बसंत मुखारी का चयन कर सभा को रागात्मक वातावरण में बाँध लिया. आलाप और जोड़ में उनकी बांसुरी शांत, ध्यानात्मक भाव रचती दिखी, जबकि जोड़-झाले में लयात्मक ऊर्जा स्पष्ट रूप से अनुभूत हुई. रूपक ताल में विलंबित तथा तीनताल में द्रुत रचनाओं की प्रस्तुति में रागदारी की सूक्ष्म बारीकियाँ मुखर रहीं. तबले पर पंडित हितेंद्र दीक्षित की मधुर और संतुलित संगत ने इस प्रस्तुति को विशेष ऊँचाई दी. सभा के दूसरे कलाकार प्रयागराज से पधारे खयाल गायक डॉ. ऋषि मिश्रा रहे. उन्होंने राग शुद्ध सारंग में संक्षिप्त आलाप के उपरांत दो परंपरागत बंदिशें प्रस्तुत कीं. एकताल में 'मेरो मन बाँध लिया' तथा तीनताल में द्रुत बंदिश 'अब मोरी बात मान ले'.राग की बढ़त के साथ स्वरूप निखरता चला गया और तानों की अदायगी ने श्रोताओं को मुग्ध कर दिया. इसके पश्चात भैरवी के टप्पे 'दिनी बहारा यार शानू' और मिश्र खमाज की ठुमरी 'तोरी मोरी मोरी तोरी न बने' ने सभा में रंजकता घोल दी.

एसपी कार्यालय के निर्माण पर रोक बरकरार

▸ समयाभाव के कारण हाईकोर्ट में सुनवाई बढ़ी

जबलपुर, 18 दिसंबर. मंडला जिले में स्थित उद्यान भूमि पर नवीन कलेक्ट्रेट भवन और पुलिस अधीक्षक कार्यालय बनाये जाने हाईकोर्ट ने अपना पूर्व का अंतरिम आदेश बरकरार रखा है.

चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ के समक्ष गुरुवार को मामला सुनवाई के लिये नियत था, लेकिन समयाभाव के चलते न्यायालय ने मामले की सुनवाई नौ फरवरी तक के लिए मुल्तवी कर दी है. उल्लेखनीय है कि यह जनहित का मामला मंडला जिले के महात्मा गांधी वार्ड निवासी अब्दुल गफ्फार कुरैशी की ओर से दायर किया गया है. जिसमें कहा

गया है कि मंडला शहर में नर्सरी उद्यान है, जो कि करीब छह एकड़ में फैला हुआ है. जिसमें दस हजार से अधिक पेड़-पौधे लगे हुए है, जिससे व्यापक रूप से शहरवासियों को ऑक्सीजन प्राप्त होती है. आवेदक का कहना है कि हाल ही में शासन ने उक्त उद्यान भूमि पर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय व पुलिस अधीक्षक कार्यालय के नवीन भवन निर्माण के आदेश जारी किये है, जिसमें जल्द ही निर्माण कार्य भी शुरू होने वाला है.

> आवेदक की ओर से कहा गया कि उक्त निर्माण कार्य से हरे-पौधों को काटा जायेगा, जो कि अनुचित है. याचिका में राहत चाही गई है कि उक्त दोनों भवनों का निर्माण अन्यत्र स्थान पर किया जाये, ताकि पेड़-पौधों को बचाया जा सके. मामले में मप्र शासन के प्रमुख सचिव, मंडला कलेक्टर, पीसीसीएफ भोपाल, सीसीएफ जबलपुर, डायरेक्टर बागवानी विभाग भोपाल, असिस्टेंट डायरेक्टर बागवानी मंडला, डिवीजन फॉरेस्टस अधिकारी मंडला को पक्षकार बनाया गया है. मामले की सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने यथास्थिति के निर्देश देते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश पूर्व में दिये थे.

इंडिगो की हैदराबाद रूट की उड़ानें हुई रद्द

स्टार एयर की चार फ्लाइटों के थमे पहिए

इंदौर, 18 दिसंबर. देवी अहिल्या बाई होलकर एयरपोर्ट से गुरुवार को भी उड़ान संचालन पटरी पर नहीं लौट सका. आज जहां इंडिगो की हैदराबाद जाने और आने वाली फ्लाइट कैंसिल रहीं.

वहीं स्टार एयर की चार फ्लाइटों के पहिए भी थमे ही रह गए. जिससे यात्रियों की परेशानियां बढ़ गई. शहर में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की परेशानी गुरुवार को भी कम नहीं हुई. लगातार दूसरे दिन इंडिगो एयरलाइन की हैदराबाद रूट की

दोनों उड़ानें रद्द कर दी गई. इससे इंदौर से हैदराबाद जाने वाले यात्रियों को अचानक टिकट री शेड्यूल और रिफंड लेने की स्थिति का सामना करना पड़ा. मामले में एयरपोर्ट सूत्रों का कहना है कि इंडिगो द्वारा सुबह और दोपहर की तय उड़ानें तकनीकी व ऑपरेशनल कारणों से रोक दी गई हैं, जिसके चलते कई यात्री सुबह से एयरपोर्ट पर फंसे रहे.

यात्री परेशान

केवल इंडिगो ही नहीं, स्टार एयर की उड़ानों पर भी असर पड़ा है. एयरलाइन की इंदौर से बेलगावी, नासिक, अहमदाबाद और कलबुर्गी रूट पर जाने वाली चार उड़ानों का संचालन गुरुवार को नहीं हो सका. मामले में एयरपोर्ट सूत्रों का कहना है कि स्टार एयर को विमान उपलब्धता से जुड़ी दिक्कतों और रोटेशनल शेड्यूल में बदलाव का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते रूट प्रभावित हो रहे है. वहीं यात्रियों ने परेशानियां जताते हुए कहा कि एयरलाइंस की तरफ से फ्लाइट कैंसिलेशन की जानकारी समय पर नहीं दी गई.

खनिज के अवैध उत्खनन पर कलेक्टर ने लगाया पूर्ण प्रतिबंध

सीधी. कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर पूर्ण रोक लगाने के लिए कड़े आदेश जारी किए हैं. जिले के विभिन्न क्षेत्रों-गोतरा, पोड़ी, टिकरी, डालापीपर, भूमिका, निधपुरी, तिलबारी, राजौंहा, लिलबार, डेम्हा, अमरवाह और कुर्वाह से प्राप्त शिकायतों के आधार पर अवैध गतिविधियों की रोकथाम और प्रभावी नियंत्रण हेतु विशेष अभियान चलाया जाएगा. इस अभियान के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों का विशेष दल गठित किया गया है.

संजय टाईगर रिजर्व में बाघों का तेजी से बढ़ा कुनबा

▸ टाईगर क्षेत्र में 33 हुई बाघों की संख्या

सीधी 18 दिसम्बर. जिले का संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र इन दिनों बाघों से गुलजार हो चुका है. टाईगर रिजर्व क्षेत्र में बाघों का कुनबा बढने के बाद स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यहां का वातावरण बाघों को खूब भा रहा है. यहां के वन क्षेत्र को बाघ अपना सुरक्षित रहवास बना चुके हैं.

साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि वर्ष 2018 में पहले यहां पर बाघों की संख्या महज 6 थी लेकिन अब वह बढक़र 33 हो गई है. हाल ही में टाईगर रिजर्व क्षेत्र में

वन्य जीवों की गणना का कार्य पूर्ण कर एकत्रित किये गये डाटा को प्रयोगशाला जांच के लिये देहरादून भेजा गया है. करीब एक सप्ताह में वहां से वन्य जीवों की गणना के संबंध में वास्तवित रिपोर्ट सामने आ जायेगी. टाईगर रिजर्व क्षेत्र में बढ़ रही बाघों की संख्या प्रदेश के लिए शुभ संकेत दे रहे हैं.

> बाघों की संख्या बढ़ाने में टाइगर रिजर्व क्षेत्र के कुशल प्रबंधन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है. बाघों के रिहायशी इलाके को बढ़ाने के लिए लगभग 17 गांवों को खाली भी करा दिया गया है ताकि बाघ यहां स्वच्छंद रूप से विचरण कर सकें. बाघों की सुविधा के लिए वन क्षेत्रफल तो बढ़ाया ही जा रहा है साथ ही साथ उनके शिकार के लिए बांधवगढ़ से चीतलों को भी लाया गया. जंगली सुअर और जंगली भैंसों के कारण बाघों को शिकार करने में भी आसानी हो रही है. वहीं नन्हें शावकों के लिए छोटे-छोटे तालाब भी बनाए हैं.

एक नजर में

बेहतर कार्य करने वाली बैंकों का होगा सम्मान

मंदसौर, 18 दिसंबर. कलेक्टर अदिति गर्ग की अध्यक्षता में सुशासन भवन में जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई. कलेक्टर ने निर्देश दिए कि शासकीय योजनाओं के लक्ष्यों को समय-सीमा से पूर्व पूर्ण करने वाले बैंकों को भारत पर्व पर सम्मानित किया जाएगा. बैठक में सेंट्रल बैंक, शामगढ़ के उत्कृष्ट कार्य की सराहना की गई. कलेक्टर ने सभी बैंकों को मासिक समीक्षा कर 31 दिसंबर तक वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों को शत-प्रतिशत पूर्ण करने के निर्देश दिए. कम उपलब्धि व बैठक में अनुपस्थित रहने पर एक्सिस बैंक को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए. ग्रामीण बैंक को भी अगली बैठक से पूर्व लक्ष्य पूर्ण करने को कहा गया. प्रधानमंत्री आवास शहरी 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत आवासों की जियो-टैगिंग शीघ्र पूर्ण करने, पीएम जीवन ज्योति बीमा में लक्ष्य पुनरीक्षण, 'आपकी पूंजी, आपका अधिकार' अभियान में बंद खातों को सक्रिय करने तथा पीएम स्वनिधि प्रकरणों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए. मत्स्य विभाग को किसान क्रेडिट कार्ड के लक्ष्यों को पूर्ण करने को कहा गया.

पंचायत उप चुनाव : रोड नहीं तो वोट नहीं

सोयतकला, 18 दिसंबर. आगर मालवा जिले में जिला पंचायत सदस्य के लिए उप चुनाव होने को है, जिसका विरोध गांव अमरकोट में देखने को मिल रहा है. ग्रामीण एकजुट होकर चुनाव का बहिष्कार करने की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं. एकत्रित होकर ग्रामीणों ने बैनर हाथ में लेकर गांव में ही रैली निकाली, साथ ही रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए. ग्रामीणों ने बताया की 78 वर्षों से हमारे गांव की ढाई किलोमीटर सडक़ अभी तक नहीं बनी है. हमारे द्वारा सांसद विधायक से लेकर कलेक्टर तक गुहार लगाई गई फिर भी समाधान नहीं निकला. इसीलिए 28 दिसंबर को होने वाले जिला पंचायत सदस्य के ऊप चुनाव से पहले ग्रामीणों द्वारा यह फैसला लिया गया है हम आपको बता दें जिस रोड के लिए ग्रामीण मांग कर रहे हैं जिसमें अमरकोट सरदारपुरा त्रिलोकपुर धतुरिया मैनपुर रामपुरिया जुड़ा हुआ है. जिसमें करीब 3000 की आबादी है. जिसमें आज तक रोड नहीं बना है. ग्राम पंचायत अमरकोट एवं ग्राम सरदारपुरा के ग्रामीणों ने एक स्वर में सडक़ निर्माण की मांग उठाई है. जिसमें कैलाश विश्वकर्मा, रामनारायण विश्वकर्मा, अशोक मांगीलाल सोलंकी, महेश चौधरी, नेमीचंद जैन, अनिल जैन, सीताराम गुर्जर, प्रभुलाल गुर्जर, अमरलाल मेघवाल, रामकिशन सहित समस्त ग्रामवासी शामिल है. सभी ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के बैनर तले एकजुट होकर रैली निकाली और स्पष्ट किया कि जब तक ढाई किलोमीटर सडक़ का ठोस निर्माण कार्य शुरू नहीं होता जब तक उनका यह लोकतंत्र संघर्ष जारी रहेगा.

नायब तहसीलदार रिश्वत लेते पकड़ाया

जमीन के बंटवारे के लिए मांगी थी 20 हजार की रिश्वत

रीवा, 18 दिसंबर, लोकायुक्त पुलिस रीवा दो दिन से लगातार रिश्वत लेने वालो पर शिकंजा कस रही है. बुधवार को आरआई को जहा रिश्वत लेते हुए पकडा गया.

वही दूसरे दिन गुरूवार को रीवा में एक पटवारी को 15 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया. तो शाम को सतना जिले के रामपुर बघेलान तहसील में नायब तहसीलदार और चौकीदार को दस हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकडऩे में लोकायुक्त पुलिस ने सफलता अर्जित की. प्राप्त जानकारी के मुताबिक आशुतोष

सिंह निवासी खैरा तहसील हुजूर जिला रीवा द्वारा लोकायुक्त एसपी कार्यालय रीवा में शिकायत की थी कि उनके पिता के नाम की जमीन का बटवारा एवं नामान्तरण का आदेश करने के लिये नायब तहसीलदार वृत्त मौहरी कटरा वीरेन्द्र सिंह जायसूर द्वारा 20 हजार की रिश्वत की मांग की जा रही है. शिकायत का सत्यापन कराया गया जिसमें पाया गया कि शिकायतकर्ता से आरोपी द्वारा दस हजार प्राप्त किये है. गुरूवार की शाम आरोपी वीरेन्द्र सिंह जायसूर नायब तहसीलदार वृत्त मौहरी कटरा तहसील रामपुर बघेलान जिला सतना को दस हजार रूपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया. यह कार्यवाही तहसील रामपुर बघेलान में की गई.

> चौकीदार प्रेमलाल द्विवेदी को भी आरोपी बनाया गया है. कार्यवाही का नेतृत्व संदीप सिंह भदौरिया ने किया, जबकि 12 सदस्यीय टीम साथ में रही. पूर्व में शिकायतकर्ता से दस हजार रूपये ले लिये गये थे और दस हजार की रिश्वत लेते हुए शाम को लोकायुक्त पुलिस रीवा की टीम ने धर दबोचा.

उचित मूल्य दुकान एवं आंगनवाड़ी केन्द्र का औचक निरीक्षण

आलीराजपुर. कलेक्टर नीतू माथुर ने जिले के समस्त क्षेत्र में बेहतर शिक्षा मुहैया करवाने के लिए समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपने अपने कार्यक्षेत्र में शिक्षण संस्थाओं का लगातार भ्रमण कर निरीक्षण करें इसी निर्देश के परिपालन में अनुविभागीय अधिकारी श्री तपीस पांडे द्वारा वार्ड क्रमांक एक आलीराजपुर के आंगनबाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया तथा वहां उपस्थित बच्चों से संवाद कर पोषण आहार मिल में मिलने वाले भोजन के बारे में जानकारी ली. इस भ्रमण के दौरान उन्होंने खाद्य वितरण व्यवस्था टॉकीज चौराहा का भी औचक निरीक्षण किया.

ताश के पत्तों की तरह गिरा मकान

खंडवा. शहर के सघन इलाके में एक मकान गिर गया. किसी को गंभीर चोट की खबर नहीं है. प्रारंभिक कारण बताया जा रहा है कि पड़ोस में एक मकान बन रहा था. इससे धराशाई मकान की नींव प्रभावित हुई होगी. नगर निगम की टीम संबंधित पड़ोसी निर्माणकर्ता और निगम के निर्माण विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर कारवाई कर रही है.

राशन कालाबाजारी के आरोपियों को सजा

नीमच. राकेश कुमार शर्मा, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा राशन की खाद्य सामग्री का परिवहन कर उसको शासकिय उचित मूल्य की दुकान पर नहीं पँहुचाकर उसकी कालाबाजारी करने वाले 05 आरोपीगण (1) जसवंतसिंह पिता मानसिंह चौहान, उम्र-43 वर्ष, निवासी-ग्राम जमुनियारावजी, थाना मनासा, जिला नीमच, (2) सद्दाम मेव पिता उस्मान मेव, उम्र-26 वर्ष, निवासी-जोशी मोहल्ला, मल्हारगढ़, जिला मंदसौर, (3) आसिफ मेव पिता एहमद हुसैन मेव, उम्र-33 वर्ष, निवासी-पुराना बाजार, मल्हारगढ़, जिला मंदसौर, (4) लोकेश उर्फ सोनू पिता कैलाश तिवारी, उम्र-26 वर्ष, निवासी-शांतिनगर, नीमच सिटी, जिला नीमच एवं (5) मेहरबानसिंह पिता पीरूसिंह परमार, उम्र-51 वर्ष, निवासी-ग्राम बेरागढ़, थाना देवास, जिला देवास को धारा 407/120बी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 04-04 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000-5000रू. अर्थदण्ड से एवं धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000-5000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री विवेक सोमानी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि आवेदन-पत्र एवं सूचना प्राप्त होने पर दिनांक 31.01.2022 को ग्राम मांगरोल व बोरदियाकलां स्थित शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जितेन्द्र नागर, डीपीएनयू दीपक महेश्वरी एवं सहायक आपूर्ति अधिकारी आर. एन. दिवाकर की संयुक्त टीम जाँच करने पँहुची,। जहा पर जाँच किये जाने पर राशन सामग्री 190 क्विंटल 86 किलोग्राम गेहूं, 11 किलोग्राम शक्कर एवं 706 किलोग्राम नमक जो कि विनायक रोड़ लाईन्स, देवास के ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 एच.जी. 0305 से दिनांक 25.01.2022 को उपरोक्त दुकानों के लिये भर कर भेजा गया था वह वहां पर नहीं पँहुचा हैं। जाँच टीम द्वारा वेयर हाउस नागरिक आपूर्ति प्रदाय केन्द्र पर पहुंचकर भी जाँच की गयी, जिसके अनुसार उक्त खाद्य सामग्री को ट्रक के चालकगण आसिफ व सद्दाम को विनायक रोड़ लाईन्स के कमिशन ऐजेन्ट आरोपीगण जसवंतसिंह एवं लोकेश के माध्यम से भिजवायी गई थी, किन्तु खाद्य सामग्री उक्त राशन दुकानों पर नहीं पहुंचायी गयी।

SBI स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया

अधिकृत अधिकारी का विवरण:- मोबाइल नंबर 9987173021
लैंडलाइन नंबर (ऑफिस)-022-41611429
अन्य मोबाइल नंबर 9985592115.

शाखा - स्ट्रेस्ड एसेट्स मैनेजमेंट ब्रांच -II, रहेजा चैंबर्स, ग्राउंड फ्लोर, विंग -B, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021
टेलीफोन नंबर: 022-41611429
ईमेल आईडी: team7.15859@sbi.co.in

परिशिष्ट -IV-A [नियम 8(6) के परंतुक देखें] अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना, जिसे सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पढ़ा जाए.
इसके द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) के पास सुरक्षित लेनदार के रूप में गिरवी/चार्ज है, जिसका भौतिक कब्जा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकृत अधिकारी, सुरक्षित लेनदार द्वारा ले लिया गया है, उसे 28.01.2026 को 'जैसा है जहां है आधार पर, जैसा है वैसा है आधार पर और 'जो कुछ भी है' आधार पर बेचा जाएगा. बैंक के बकाया की वसूली के लिए चार्ज की गई संपत्ति/संपत्तियों (SARFAESI अधिनियम, 2002 के तहत) की ई-नीलामी नीचे निर्दिष्ट नियमों और शर्तों पर आयोजित की जाएगी.

कर्ज़दार का नाम	गारंटर का नाम	बकाया राशि जिसकी वसूली के लिए संपत्ति बेची जा रही है
M/s. पॉली टेक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड 203, सफायर हाइट्स, ए.बी. रोड, पाकीज़ा शोरूम के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश, पिन-452003।	i) श्री राजीव दिवाकर ii) सुश्री स्मिता दिवाकर iii) श्री कुबेर दिवाकर iv) सुश्री भावना दिवाकर v) श्री महेंद्र कुमार दिवाकर vi) सुश्री शकुंतला दिवाकर	रु. 29.08.2023 तक 11,83,06,955.01 + अनुबंधित दर पर ब्याज + खर्च और लागत (यदि कोई हो तो नकद वसूली घटाकर) मांग नोटिस की तारीख- 01.09.2023

क्र. सं.	संपत्ति का विवरण	रिज़र्व कीमत (रु.)	EMD (रु.)	बोली बढ़ाने की राशि	ई-नीलामी की तारीख और समय	संपत्ति के निरीक्षण की तारीख और समय
1.	ज़मीन और बिल्डिंग जिसमें प्लांट और मशीनरी शामिल हैं (स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ़ इंडिया को गिरवी रखी गई मशीनरी को छोड़कर) जो प्लॉट नंबर-S-5/2, इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर नंबर 01, पीथमपुर, ज़िला धार, मध्य प्रदेश में स्थित है. ज़मीन का क्षेत्रफल 6535 वर्ग मीटर। M/s. पॉली टेक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर संपत्ति प्रतीकात्मक कब्ज़े में है.	रु. 7,70,00,000	रु. 77,00,000	रु. 1,00,000/-	28.01.2026 समय सुबह 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक, प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ	10.01.2026 सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक

ध्यान दें- यह ध्यान दिया जाए कि, यह ई-नीलामी 'जैसा है जहाँ है आधार पर, जैसा है वैसा है आधार पर और 'जो कुछ भी है' आधार पर आयोजित की जा रही है.
इच्छुक बोली लगाने वालों/खरीदारों को नीलामी के समय से काफी पहले हमारे सर्विस प्रोवाइडर BAANKNET ई-ऑक्शन वेब पोर्टल https://baanknet.com/eauction-psb/eauction/ पर रजिस्ट्रेशन के ज़रिए ऑनलाइन मोड से अपने ग्लोबल EMD वॉलेट में EMD राशि ट्रांसफर करनी होगी. अगर ग्लोबल EMD वॉलेट में EMD राशि उपलब्ध नहीं है, तो सिस्टम बोली लगाने की अनुमति नहीं देगा. रजिस्ट्रेशन, KYC डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन और वॉलेट में EMD ट्रांसफर नीलामी से काफी पहले पूरा कर लेना चाहिए. इच्छुक बोली लगाने वाला ई-नीलामी बंद होने से पहले BAANKNET के पास प्री-बिड EMD जमा कर सकता है. प्री-बिड EMD का क्रेडिट बोली लगाने वाले को BAANKNET बैंक अकाउंट में पेमेंट मिलने और ई-नीलामी वेबसाइट पर ऐसी जानकारी अपडेट होने के बाद ही दिया जाएगा. बैंकिंग प्रक्रिया के अनुसार इसमें कुछ समय लग सकता है और इसलिए बोली लगाने वालों को अपने हित में सलाह दी जाती है कि वे किसी भी आखिरी मिनट की समस्या से बचने के लिए प्री-बिड EMD राशि काफी पहले जमा कर दें.
प्रॉपर्टी पर कोई ज्ञात भार नहीं है. हालांकि, इच्छुक बोली लगाने वाले को संबंधित कार्यालयों/विभागों से प्रॉपर्टी पर भार के संबंध में अपनी खुद की जांच और उचित सावधानी बरतनी चाहिए. किसी भी अथॉरिटी या किसी अन्य को देय सभी वैधानिक/गैर-वैधानिक बकाया, टैक्स, दरें, मूल्यांकन, शुल्क, फीस आदि का भुगतान केवल सफल बोली लगाने वाले की एकमात्र ज़िम्मेदारी होगी. बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योर्ड क्रेडिटर की वेबसाइट पर दिए गए लिंक देखें- www.sbi.co.in और https://baanknet.com/eauction-psb/eauction/

Bank website https://bank.sbi	E-auction website https://baanknet.com/

Property id No	Property Location	Video / Photos of Property	USP
SBIN78371374532			

सरफेसी एक्ट के तहत वैधानिक 30 दिन का बिक्री नोटिस
कर्ज़दारों/गारंटरों को सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के तहत 18.12.2025 को नोटिस दिया गया है।
दिनांक: 18.12.2025
स्थान: मुंबई
हस्ताक्षर/-
अधिकृत अधिकारी, स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया

बैठक ▸ उषा नायडू ने जिला समन्वय समिति की बैठक में पढ़ाया अनुशासनता का पाठ

कांग्रेस के मोर्चा संगठनों को मजबूत करना है

नवभारत न्यूज

खंडवा. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की संयुक्त सचिव एवं मध्य प्रदेश की सह प्रभारी उषा नायडू प्रभारी बनने के बाद खंडवा में प्रथम बार अपने एक दिवसीय प्रवास पर खंडवा पहुंची.

खंडवा पहुंचने पर सर्वप्रथम दादाजी दरबार पहुंचकर मत्था टेका उसके बाद गांधी भवन में बैठक लेने पहुंची जहां पर कांग्रेसजनों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया. जिला कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता प्रेमांशु जैन ने बताया कि बैठक के दौरान एसआईआर अभियान की प्रगति, कार्य-

प्रणाली एवं अब तक हुए कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई. साथ ही अभियान को और अधिक प्रभावी, व्यापक बनाने के लिए आगे की रणनीति पर भी सार्थक और रचनात्मक चर्चा हुई. जिला संगठन की सक्रियता निश्चित रूप से कार्यक्रमों और अभियानों को नई ऊर्जा प्रदान करेगी. नायडू ने कहा है कि हमें कांग्रेस को मजबूत करने के साथ ही साथ कांग्रेस के मोर्चा संगठनों को भी मजबूत करना है.

> सुश्री नायडू ने कहा कि इस पुनरीक्षण के कार्य में परीक्षा की घड़ी अब आ रही है. अब हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि किसी भी सही मतदाता का नाम मतदाता सूची से नहीं कटे और किसी गलत अथवा मृतक हुए मतदाता का नाम इस सूची में कायम नहीं रहे. जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उतमपाल सिंह ने कहा कि हम संगठन को मजबूती देने का कार्य बहुत तत्परता से कर रहे हैं.

पूर्व विधायक मंडल ने पेंशन वृद्धि को लेकर सीएम को ज्ञापन सौंपा

ग्वालियर. 16वीं विधानसभा के विशेष सत्र और विधानसभा

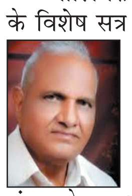

अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा आयोजित भोज के बाद म.प्र. के पूर्व विधायक मंडल के उपाध्यक्ष भगवानसिंह यादव के नेतृत्व में पूर्व विधायकों ने सीएम व विधानसभा के अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर से एक साथ मिलकर वर्षों से लम्बित पूर्व विधायकों की पेंशन आदि की वृद्धि करने की मांग तथा ग्वालियर चम्बल सम्भाग के हजारों मरीजों की बायपास इलाज सुविधा हेतु ग्वालियर में कार्डियोथोरेसि विभाग स्थापित करने हेतु अनुरोध ज्ञापन प्रस्तुत किया.